न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/383

1. श्रीनारायण आयु 73 वर्ष आत्मज औंकार मीणा निवीस रायथल ।
2. प्रहलाद आयु 40 वर्ष पुत्र
3. पप्पू आयु 33 वर्ष पुत्र
4. मनभर बाई आयु 60 वर्ष विधवा रामनाथ जाति मीणा निवासी रायथल तहसील व जिला बून्दी ।
5. रामभवन आयु 28 वर्ष पुत्री भंवर लाल पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी भरता बावडी तहसील तलेडा ।
6. सुनिल आयु 21 वर्ष आत्मज भंवरलाल मीणा निवासी रायथल ।
7. रामबिलास आयु 25 वर्ष पुत्री भंवर लाल पत्नी फोरूलाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील तालेडा ।
8. कुमारी नीतू आयु 17 वर्ष
9. दीपक आयु 11 वर्ष पिसरान भंवर लाल जाति मीणा निवासी रायथल अवयस्क जरिये संरक्षक माता बद्रीबाई ।
10. बद्रीबाई विधवा भंवर लाल जाति मीणा निवासी रायथल ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज औंकार मीणा निवासी रायथल जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान एवं उत्तराधिकारी :–
   1/1. गोपाली बाई आुय 60 वर्ष विधवा
   1/2. महावीर आयु 40 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी रायथल तहसील व जिला बून्दी ।
   1/3. नन्दकंवरी आयु 38 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नी महावीर मीणा निवासी चितावा तहसील के0 पाटन
   1/4. इन्द्रा आुय 36 वर्ष पुत्री जगन्नाथ पत्नी धनराज मीणा निवाी सुवांसा तहसील के0 पाटन ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रायथल तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 89 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 102 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कुल 02 किता की 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पडत से फाडकर वादी संख्या 01, 2 लगायत 04 के पितामह व प्रतिवादी कम 1 के पिता औंकार जी ने आबाद की थी । औंकार जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर उनके तीनों पुत्र वादी कम 1 श्रीनारायण, प्रतिवादी कम 1 जगन्नाथ एवं रामनाथ काबिज हुए । उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से कर्ताखानदान की हैसियत से जगन्नाथ जी के नाम आवंटन करायी थी । उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है । उक्त भूमि में तीनों का 1/3 –1/3 हिस्सा निहित है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि अकेले जगन्नाथ के नाम गलत अंकित होने के कारण वादीगण के हक अधिकारों पर आक्षेप पहुंचता है । प्रतिवादी कम 1 राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन के आधार पर उक्त भूमि पर कब्जा करने हेतु प्रयत्नशील है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि उक्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार स्वयं को व 1/3 हिस्से का खातेदार वादी संख्या 02 लगायत 10 को घोषित करावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में इसी प्रकार 2/3 हिस्से का खातेदार वादीगण को दर्ज करावे ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी में वादी कम 1 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार तथा 1/3 हिस्से का वादी संख्या 02 लगायत 10 को घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे । उक्त भूमि का नियमानुसार विभाजन किया जाकर 1/3 हिस्से की भूमि विभाजन में वादी संख्या 01 को प्रदान की जावे, 1/3 हिस्से की भूमि वादी संख्या 02 लगायत 10 को प्रदान की जावे तथा विभाजन में जो भूमि वादीगण को प्रदान की जावे उस पर नियमानुसार कब्जा वादीगण को दिलाया जावे । प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वह वादग्रस्त आराजी के 2/3 हिस्से की भूमि जो वादीगण के कब्जे में है पर न तो स्वयं करें और नही अन्य से करावें तथा उक्त भूमि को रहन, बेचान नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना नहीं दी और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से कर्ता खानदान की हैसियत से जगन्नाथ जी के नाम आवंटन करायी थी जिसमें संयुक्त परिवार की आय से प्राप्त रकम लगी थी तथा अपीलान्ट ने काफी परिश्रम कर उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया था । संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने से उक्त भूमि का विभाजन कराने का अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है, गुणावगुण के आधार पर नहीं । निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । साक्ष्य पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया । भूमि गैर खातेदारी की होने पर भी अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योगय है । उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । आराजी संयुक्त परिवार की आय से कर्ता खानदान की हैसियत से जगन्नाथ जी के नाम आवंटन करायी थी जिसमें संयुक्त परिवार की आय से प्राप्त रकम लगी थी । उक्त भूमि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने से उक्त भूमि का घोषणा व बंटवारा कराने का अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निररस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान में से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है ।

9. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा